

2011 का विधेयक संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2011

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक , 2011

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त संक्षिप्त नाम। (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।
2. हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 की धारा 2 के खण्ड धारा 2 का 1983 का 17 च के उप-खण्ड 8 में, या उपाध्यक्ष शब्दों के स्थान पर, उपाध्यक्ष या संशोधन। सदस्य चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

हस्ताक्षरित
अध्यक्ष।
हिमाचल प्रदेश
विधान सभा, शिमला

शिमला- 171004.
दिनांक :

मैं इस विधेयक पर अनुमति देती हूँ।

हस्ताक्षरित
राज्यपाल।
हिमाचल प्रदेश

शिमला-171002
दिनांक :

मैं, हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त संशोधन विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 1) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

हस्ताक्षरित

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन)विधेयक, 2011(2011 का विधेयक संख्यांक1) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने प्राधिकृत कर दिया है।

हस्ताक्षरित

प्रधान सचिव (विधि)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL No. 1 OF 2011

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT)
BILL, 2011

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT)
BILL, 2011

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

- 1.Short title.
- 2.Amendment of section 2.

BILL No. 1 OF 2011

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT)
BILL, 2011

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

*further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983
(Act No. 17 of 1983).*

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India

As follow:-

1.This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta Act, short title. (Amendment) Act, 2011.

2.In section 2 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983, in Amendment of section 2. 17 of 1983. Clause (f), in sub-cluse (8), for the words and sign "or Vice-Chairman", the signs and words," Vice-Chairman or Member" shall be substituted.